

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



गुरुगुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

F. NRC/NCTE/F-3/RJ-313/ 6072
APN 0 0 8 0 1

19 JUL 2005

ORDER

Lokmanya Tilak Teachers College, Dabok - 313022, Udaipur, Rajasthan submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition of B.T.C course of two Year duration in terms of section 15(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to Lokmanya Tilak Teachers College, Dabok - 313022, Udaipur, Rajasthan to B.T.C Course of two year duration for one unit (50 seats only), with an annual intake of 50 in the 1st year and the same for the 2nd year w.e.f. 28th June, 2005 subject to compliance of the following conditions before commencement of the academic session.

- Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session.
- The countersigned statement of all faculty members from the Director, SCERT should be submitted before the commencement of the academic session.
- The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
- Before starting the course the institution should seek prior permission of the competent authority for conducting the exams and approval of the curriculum that they are going to adopt for the course.
- Institutions if starts the training programme without prior approval / permission of competent authority / examining body regarding the curriculum they have adopted and conduct of examination for award of Diploma / Certificate the recognition of such institutions shall withdrawn.
- Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. : 0141- 2623501, 2622661

Fax No. : 0141- 2620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail : nrc_ncte@yahoo-com

Website : http://www.ncte-in.org

Contd. 2...

4. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.

5. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993.

6. Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.

By Order,

(N.R.Murali)
Regional Director

The Manager,
Government of India,
Department of Publications, (Gazette Section),
Civil Lines,
Delhi - 110054

Copy to:

- (1) The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
- (2) The Education Secretary, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
- (3) The Director, Directorate of Elementary Education, I/C Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Bikaner, Rajasthan.
- (4) The Director, State Institute of Education, Udaipur, Rajasthan - - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. Incase the institution is not found to have complied with the said requirements; the concerned department shall with hold the affiliation and report the same to NRC, NCTE.
- (5) The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002.
- (6) The Chairman / Secretary, Janardhan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapeeth, Udaipur, Rajasthan.
- (7) The Principal, Lokmanya Tilak Teachers College, Dabok - 313022, Udaipur, Rajasthan - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
- (8) The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002
- (9) Computer cell (NRC)

Regional Director



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-7/RJ-313/ 11,127

26 OCT 2005

To,

The Principal,
Lokmanya Tilak Teachers College,
Dabok - 313022,
Udaipur, Rajasthan.

Sub:- Clarification regarding equivalence of BSTC with Elementary Teacher Education Courses.

Sir,

I am to refer to your letter dt. 20.09.2005 whereby you have drawn the attention of this office with regard to equivalence of ETT Course equivalent with BSTC Course being offered in the State of Rajasthan. In this regard it is informed that the Teacher Education Courses have been categorized into three broad groups namely (i) Pre-Primary Teacher Education (ii) Elementary Teacher Education (iii) Secondary Teacher Education. The Elementary Teacher Education Programs have different types of nomenclature used by different states. It has been also noticed that even within the state the nomenclature for Elementary Teacher Education course are being used differently.

In view of the above, it is amply clear that BTC Course is atpar with BSTC Course being offered by various Teacher Education Institutions in the State of Rajasthan.

Yours faithfully,


(N.R. Murali)

Regional Director

Copy to :-

The Principal Secretary, Education, Government
of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.

W.r.t. your letter
P15(5)Shiksha/Pr.Edu./2003
30.09.2005.

Regional Director

Nagda ji
मूल जोन फाईल में
Photo copy करवाइए
Sect. में रखी है
(12/10/05 request - 2)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-7/RJ-313/ 11,127

26 OCT 2005

To,

The Principal,
Lokmanya Tilak Teachers College,
Dabok - 313022,
Udaipur, Rajasthan.


Sub:- Clarification regarding equivalence of BSTC with Elementary Teacher Education Courses.

Sir,

I am to refer to your letter dt. 20.09.2005 whereby you have drawn the attention of this office with regard to equivalence of ETT Course equivalent with BSTC Course being offered in the State of Rajasthan. In this regard it is informed that the Teacher Education Courses have been categorized into three broad groups namely (i) Pre-Primary Teacher Education (ii) Elementary Teacher Education (iii) Secondary Teacher Education. The Elementary Teacher Education Programs have different types of nomenclature used by different states. It has been also noticed that even within the state the nomenclature for Elementary Teacher Education course are being used differently.

In view of the above, it is amply clear that BTC Course is atpar with BSTC Course being offered by various Teacher Education Institutions in the State of Rajasthan.


Yours faithfully,


(N.R. Murali)
Regional Director

Copy to :-

The Principal Secretary, Education, Government
of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.

W.r.t. your letter
P15(5)Shiksha/Pr.Edu./2003
30.09.2005.


Regional Director

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 15 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003

जयपुर, दिनांक : 19/8/06

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 5 गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को वर्ष 2006-07 में संस्था के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-


क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवॉन्सड स्टडीज इन एज्युकेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चुरू (राज.)	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीट
2	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवॉन्सड स्टडीज इन एज्युकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चुरू (राज.)	दो वर्षीय एसटीसी पाठ्यक्रम	50 सीट
3	लोकमान्य तिलक टीचर्स कॉलेज, डबोक, उदयपुर।	दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम	50 सीट
4	गीता बजाज प्री. प्राईमरी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, मोती डूंगरी, जयपुर	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीटों की अभिवृद्धि
5	स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भढाडर, सीकर (राज0)	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीट

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाये :-

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।





2. शैक्षिक सत्र 2006-07 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तीकों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।


 19.8.06
 शासन उप सचिव
 प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. पंजीयक, विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. संबंधित संस्था एकेएमपीएफ, 2 नवम्बर कॉलेज, डबोक, उदयपुर
8. रक्षित पत्रावली।


 19.8.06
 शासन उप सचिव



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

4026

07/08/06

शारान उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
(आयोजना) अनुभाग

विषय :- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 19.07.06 का सन्वर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके सन्दर्भित पत्र में निम्नलिखित पाँच संस्थानों का उल्लेख है।

क्रमांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटें
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टडीज इन एज्यूकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, दुरु, राजस्थान	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टडीज इन एज्यूकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, दुरु, राजस्थान	दो वर्षीय एसटीटी पाठ्यक्रम	50
3.	लोकगान्ध तिलक टीचर्स कॉलेज, हवोक, उदयपुर	दो वर्षीय डीटीटी पाठ्यक्रम	50
4.	गीता बजाज प्री प्राइमरी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, मोती डूंगरी, जयपुर	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	100
5.	स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, भद्दावर, सीकर, राजस्थान	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50

इनको इस कार्यालय के द्वारा उनके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम तथा सीटों की संख्या हेतु मान्यता प्रदान कराई जा चुकी है। यह मान्यता अद्यतन जारी है। अतः इस आधार पर आप आगे की कार्रवाही प्रारम्भ करें।

धन्यवाद

भवदीय

श/प

नरेन्द्रबाबू
(क. आर. नरेन्द्रबाबू)
अवर सचिव

—:: कायलिय आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बी का ने र ::—

क्रमांक:- गिधिरा/प्राश-1/गिध/बी स्तडीती/पवेश/06-07/4489 दिनांक:- 21/8/06

प्रधानाचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
गोनैर, जयपुर ।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक तन्त्र 2006-07 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में ।



तन्त्र:- उप शासन तथिय, प्राश-1/गिध/बी स्तडीती/पवेश/06-07/4489 दिनांक 19.8.06 के तन्त्र में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने पत्रांक प-15/शिक्षा-1/प्राश/03 दि० 19.8.06 के तन्त्र में पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पांच [5] भैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को वर्ष 2006-07 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एवं संस्थाओं का सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संलग्न पत्र की प्रति में दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित क पालना की जाये। तथा पत्र में वर्णित प्रवेश के सीटों में बिन्दु संख्या । से 5 तक पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जाये।

भारत सरकार की सेवार्थ

BOOK-POST

उप निदेशक [प्रशिक्षण],
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- [1] उप शासन तथिय, प्रारम्भिक शिक्षा [आयोजना] को उनके पत्र दि० 19.8.06 के तन्त्र में सूचनार्थ ।
- [2] पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाये, राजस्थान, बीकानेर ।
- [3] संबन्धित संस्था लोकमान्य तिलक लीजर्स कॉलेज, जयपुर, उदयपुर
- [4] रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक [प्रशिक्षण],

श्रेष्ठ लिपिक
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान-बीकानेर

गोपाल जी
21/8/06
10/11/06



'सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते'

(0294) 265532
(0294) 265775
Fax : 0294-265

जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई

डबोक - 313 022, उदयपुर (राज.)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त)

क्रमांक :

क्रमांक लोमाति/2006-07/

दिनांक :

दिनांक 24.8.06


श्रीमान् आयुक्त महोदय
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विषय:- बी.टी.सी. (एस.टी.सी) पाठ्यक्रम हेतु सीटे आवंटन करने के संबंध में।

संदर्भ :- क्रमांक प. 15 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 19.8.06

क्र.	संख्या का नाम	आवृत्ति का नाम	संग्रहीत
1	महोदय, उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि शासन उप सचिव के पत्र क्रमांक प.15(5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 19.8.06 की प्रति प्रस्तुत कर लेख है कि स्वीकृत पाठ्यक्रम बी.टी.सी. (एस.टी.सी) हेतु सीटें आवंटित करने का कष्ट करें।	बी.टी.सी.	30 सीटें
2	साभार,	प्राचार्य	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(प्रो. दिव्यप्रभा नागर)
प्राचार्या



राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 15 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003

जयपुर, दिनांक : 19/8/06

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 5 गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को वर्ष 2006-07 में संस्था के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवॉन्सड स्टडीज इन एज्यूकेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चुरू (राज.)	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीट
2	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवॉन्सड स्टडीज इन एज्यूकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चुरू (राज.)	दो वर्षीय एसटीसी पाठ्यक्रम	50 सीट
3	लोकमान्य तिलक टीचर्स कॉलेज, डबोक, उदयपुर।	दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम	50 सीट
4	गीता बजाज प्री. प्राइमरी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, मोती डूंगरी, जयपुर	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीटों की अभिवृद्धि
5	स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भढाडर, सीकर (राज0)	दो वर्षीय एनटीटी पाठ्यक्रम	50 सीट


उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाये :-

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।



07/08/06
मूल प्रतिलिपि फाइल में
आवेदन संख्या 15/03/06


2. शैक्षिक सत्र 2006-07 में वीएराटीरी पाठयक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तीकों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठयक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।


 19.8.06
 शासन उप सचिव
 प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. पंजीयक, विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, धीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. संबंधित संस्था एकेए प्रतियुक्त सीटों को लेन, डबोक, उदयपुर
8. रक्षित पत्रावली।


 19.8.06
 शासन उप सचिव



'सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते'

(0294) 265532
(0294) 265775
Fax : 0294-265



जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.)

डबोक - 313 022, उदयपुर (राज.)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त)

क्रमांक:

क्रमांक लोमाति/2006-07/

दिनांक:

दिनांक 24.8.06

श्रीमान् आयुक्त महोदय
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विषय:- बी.टी.सी. (एस.टी.सी) पाठ्यक्रम हेतु सीटे आवंटन करने के संबंध में।

संदर्भ :- क्रमांक प. 15 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 19.8.06

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि शासन उप सचिव के पत्र क्रमांक प.15(5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 19.8.06 की प्रति प्रस्तुत कर लेख है कि स्वीकृत पाठ्यक्रम बी.टी.सी. (एस.टी.सी) हेतु सीटे आवंटित करने का कष्ट करें।

साभार,

(प्रो. दिव्यप्रभा नागर)
प्राचार्या

2. शैक्षिक सत्र 2006-07 में वीएराटीरी पाठयक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तकों के आधार पर निर्मित वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठयक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

19.8.07
शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. निदेशक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. पंजीयक, विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, धीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. संबंधित संस्था (लेकनोपतिपक, दीपत कोलेज, डबोक, उदयपुर)
8. रक्षित पत्रावली।

19.8.07
शासन उप सचिव